तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
.03.25	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित प्रार्थना पत्र पर बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली वास्ते निर्णय आगामी दिनांक 27.03.25 को पेश हो।	
27-03-25	पत्रावली आज निर्णय सुनाए जाने हेतु पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत अरथाई निषेधाज्ञा आंशिक स्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रकरण दर्ज नम्बर से कम होकर पत्रावली बाद पूर्ति संलग्न मूल वाद रहे। उपखण्ड अधिकारी लाडनूं (कुचेरा)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी जिला–बून्दी(राज0)

पीठासीन अधिकारी
श्रीमती भावना सिंह(**RAS**)

[illegible]ना पत्र संख्या 74 / 2023
[illegible]यरा दिनांक 11.10.2023

बउनवान

1. गोरधन सिंह आ0 मदन सिंह उर्फ सार्दुल सिंह जाति राजपूत निवास पचीपला तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान।
2. भरत सिंह आ0 मदन सिंह उर्फ सार्दुल सिंह जाति राजपूत निवास पचीपला तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान।
3. समुद्र सिंह आ0 मदन सिंह उर्फ सार्दुल सिंह जाति राजपूत निवास पचीपला तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान।

–प्रार्थिगण

बनाम

1. मदन सिंह उर्फ सार्दुल सिंह पुत्र मोड सिंह जाति राजपूत निवास पचीपला तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान।
2. हरिराज सिंह आ0 मदन सिंह उर्फ सार्दुल सिंह जाति राजपूत निवास पचीपला तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान हाल निवास ग्राम दबलाना तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
3. अनुराग सिंह आ0 हरिराज सिंह जाति राजपूत निवासी पचीपला तहसील इन्द्रगढ़ हाल निवासी ग्राम दबलाना तहसील हिण्डोली जिला बून्दी, राज0।
4. नन्दकंवरी पुत्री मदन सिंह उर्फ सार्दुल सिंह जाति राजपूत निवास पचीपला तहसील इन्द्रगढ़ पत्नी लक्ष्मण सिंह जाति राजपूत निवासी किशनगढ़ तहसील जहाजपुर जिला भिलवाडा, राज0।
5. स्टेट ऑफ राजस्थान जर्ये तहसीलदार इन्द्रगढ़।
6. स्टेट ऑफ राजस्थान जर्ये उपतहसीलदार व नायब तहसीलदार लाखेरी जिला बून्दी, राज0।

–अप्रार्थिगण

प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1.श्री महेन्द्र रेबारी – अधिवक्ता प्रार्थिगण
2. श्री बालकिशन रायका – अधिवक्ता अप्रार्थी सं.2 लगायत 3
3. अनुपरिस्थिति– अप्रार्थी संख्या 1,4ता06

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

दिनांकः— 27.03.2025

निर्णय

प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थिगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 जस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि कृषि भूमि खसरा संख्या 537 रकबा 0.30है0, खसरा संख्या 539 रकबा 0.35है0, खसरा संख्या 540 रकबा 3.04है0, खसरा संख्या 546 रकबा 2.75है0 कुल किता 4 कुल रकबा 6.44है0 वाके ग्राम पचीपला तहसील इन्द्रगढ़ में स्थित है जो वर्तमान में वादीगण के पिता मद्दन सिंह जी के खातेदारी में अंकित चली आ रही है जबकि उक्त कृषि भूमि पुश्तैनी है जो दादा, परदादा के समय से चली आ रही है जिसमें पुत्रों का जन्म से ही अधिकार है। मूल पुरूष मदन सिंह उर्फ सार्दुल सिंह आ0 मोड सिंह जाति राजपूत रेबारपुरा तहसील इन्द्रगढ़ है, इनके चार पुत्र क्रमशः गोरधन सिंह, हरिराज सिंह, भरत सिंह, समुद्र सिंह है तथा एक पुत्री नन्दकंवर है तथा पत्नी है। इनमें हरिराज सिंह सरकारी नौकरी में है तथा अन्य तीन पुत्रगण काश्तकार है जो काश्तकारी पर निर्भर है। मदन सिंह जी की उम्र 90वर्ष है तथा वृद्ध है उनमें सोचने समझने की शक्ति नहीं है। इसके पहले पिता जी द्वारा उक्त 40बीघा भूमि का बंटवारा आज से 20—25वर्ष पूर्व ही कर दिया था उसके अनुसार चारों पुत्रों को प्रत्येक 10बीघा जमीन दे रखी है तथा बंटवारा चारों का हो रहा है तथा उसकी अनुसार चारों भाई अपने अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्तकारी कर रहे है। प्रार्थिगण के पिता व माता दोनो वृद्ध है जिनका पालन पोषण प्रार्थीगण ही कर रहे है किन्तु अप्रार्थी संख्या 2 हरिराज सिंह ग्राम पचीपला आया तथा बिना कहे चुपके से प्रार्थिगण के पिता—माता को ग्राम दबलाना ले गया तथा धोके से मदन सिंह जी को तहसील लाखेरी में लाकर बाहर गांव के गवाह खडे करके अपने पुत्र अनुराग सिंह के पक्ष में उक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि में से 1/4 हिस्से का दान पत्र दिनांक 25.07.2023 को निष्पादित करवा लिया जो गलत व अवैध है। अप्रार्थी संख्या 2,3 आपस में मिलकर प्रश्नगत भूमि को किसी को रहन,बय भी कर सकते है इसलिए अप्रार्थिगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करना आवश्यक हो गया है। प्राथमिक दृष्ट्या केस एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थिगण के पक्ष में है अगर दौराने वाद अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं की जाती है तो प्रार्थिगण को ऐसी अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी तरह संभव नहीं होगी। अन्त में निवेदन किया कि अप्रार्थिगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।

प्रार्थिगण का प्रार्थना दर्ज रजिस्टर किया जाकर जर्ये नोटिस अप्रार्थिगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1,4,5,6 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकंपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। अप्रार्थी संख्या 2,3 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि वाद विषयक भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 का हिस्सा 3/4 व अप्रार्थी संख्या 3 का हिस्सा 1/4 है एवं उसी अनुसार काबिज काश्त करते चले आ रहे है एवं वादवर्णित कृषिभूमि सह खातेदार अपने हिस्से की भूमि का विधिवत बंटवारा कराने का कानूनी अधिकारी है। प्रार्थिगण का वादविषयक भूमि पर कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है। प्रार्थिगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 की सुश्रषा नहीं की एवं दुर्व्यवहार लगातार करते चले आ रहे है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा कभी भी भूमि का विधिवत बंटवारा नहीं किया। अप्रार्थी संख्या 1 की मृत्यु के बाद प्रार्थिगण व अप्रार्थी संख्या 2 व 4 सहखातेदार में कानूनी उनका बराबर हक व अधिकार निहित होगा उसके पूर्व प्रतिपक्षी संख्या 1 के जीवनकाल में प्रार्थिगण को कोई हक व अधिकार

उपखण्ड अधिकारी
काकोरी (बून्दी)

हीं है। अप्रार्थी सं 1 मदन सिंह एवं उनकी धर्म पत्नी की वृद्धावस्था का नाजायज ा उठाकर प्रार्थिगण उनकी जीवन निर्वाह व भरण पोषण व सेवा सुश्रुषा समय समय पर करने से वे अपनी मन मर्जी से ग्राम दबलाना अपने बडे पुत्र अप्रार्थी संख्या 2 के यहां वास करते चले आ रहे है और अप्रार्थी संख्या 1 ने अपनी सेवा से प्रसन्न होकर प्रतिपक्षी संख्या 3 के पक्ष में दिनांक 25.07.2023 को रूबरू गवाहान के हिस्सा 1/4 की दक्षिणी तरफ की कृषि भूमि का दानपत्र निष्पादित किया है जिस पर प्रतिपक्षी संख्या 3 अनुरागसिंह का हिस्सा 1/4 के प्रार्थना पत्र में वर्णित विषयक भूमि के दक्षिणी तरफ कब्जा काश्त करता चला आ रहा है। अप्रार्थी संख्या 1 को उनकी कृषि भूमि का रहन, बय, दान करने का कानूनी अधिकार होने से हिस्सा 1/4 को पंजीयन कार्यालय लाखेरी में प्रतिपक्षी संख्या 1 ने अप्रार्थी सं 3 के पक्ष में दानपत्र किया जा चुका है। प्रार्थिगण ने अपने आप को 3/4हिस्से का खातेदार मान कर वाद प्रस्तुत किया है जो कानूनी रूप से चलने योग्य नहीं है। प्रार्थिगण का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होने से खारिज किए जाने का निवेदन किया। अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा काउन्टर टी0आई0 प्रस्तुत कर कथन किया कि वाद विषयक भूमि अप्रार्थी संख्या 1 व अप्रार्थी संख्या 3 की सह खातेदारी की संयुक्त रूप शामलाती खाते की है जिसका अभी विधिवत विभाजन आज तक नहीं हुआ हैं। अप्रार्थी संख्या 3 का उक्त भूमि में हिस्सा 1/4 दक्षिणी तरफ की भूमि का सहखातेदार कृषक होने से विधिवत बंटवारा करवाये जाने का अधिकारी है। सहखातेदार कृषक का प्रत्येक इंच भूमि पर कब्जा काश्त कानूनी रूप से बिना विभाजन करवाये माना जाने का प्रजमंशन है जिसकी पालना में प्रतिपक्षी संख्या 3 के पक्ष में उनके हिस्से की कृषिभूमि पर अन्य व्यक्ति को काश्तकारी करने से रोकने पर उनको विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अन्त में निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 3 का हिस्सा 1/4 की कृषिभूमि के दक्षिणी तरफ के भू भाग पर प्रार्थिगण अनावश्यक रूप कृषि कार्य, हंकाई जुताई में व्यवधान पैदा नहीं करें और कृषि कार्य करने में कोई हस्तक्षेप नहीं करने बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थी के पक्ष में पारित की जावे। प्रार्थिगण ने जवाब काउन्टर टी0आई0 प्रस्तुत कर कथन किया कि उक्त भूमि प्रार्थिगण के पिता मदन सिंह जी के खातेदारी में अंकित है किन्तु उक्त भूमि पुश्तैनी है जो दादा, परदादा के समय से चली आ रही है जिसमें पुत्रों का जन्म से ही अधिकार है। प्रार्थिगण के पिता मदन सिंह जी 90वर्ष के व्यक्ति है जिनमें सोचने समझने की शक्ति नहीं है इसलिए उन्होंने उक्त 40बीघा भूमि का बंटवारा पूर्व में ही कर रखा है जिसके अनुसार चारों पुत्र 10–10बीघा जमीन पर काबीज है। अप्रार्थी संख्या 2 ने धोके से मदन सिंह जी से चुपके से तहसील लाखेरी में ले जाकर बाहर गांव के गवाह खडे करके अपने पुत्र अप्रार्थी संख्या 3 के पक्ष में सम्पूर्ण कृषिभूमि में से 1/4हिस्सा का दान पत्र दिनांक 25.07.2023 को निष्पादित करवा लिया जो कि गलत व अवैध एवं निष्प्रभावी है। अप्रार्थी संख्या 2,3 सम्पूर्ण भूमि को अपने खाते में अंकित करवाना चाहते है। काउन्टर क्लेम कर्ता के पिता के मन में दुर्भावना व बेईमानी है कि पिता व पुत्र व पौत्र का संबंध दिखाकर दान पत्र निष्पादित करवाकर हिस्से से ज्यादा जमीन हडपना चाहता है और प्रार्थिगण को नुकसान पहुंचाकर उक्त जमीन को अपने खाते लगाने का प्रयास कर रहा है जबकि उक्त कृषिभूमि पुश्तैनी है। उक्त काउन्टर क्लेम कानूनी रूप से काफी कमजोर है जो चलने योग्य नहीं है। उक्त भूमि पर प्रार्थिगण का ही कब्जा काश्त है काउन्टर क्लेम कर्ता अनुराग सिंह व उनके पिता द्वारा मदन सिंह जी को ग्राम दबलाना अपने पास रख रखा है और अप्रार्थिगण के पास नहीं आने देते है। प्रार्थिगण पिता को लेने दबलाना गये तो उनके

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

अभद्र व्यवहार किया गया और पिता जी को नहीं भेजा गया। अन्त में अप्रार्थी संख्या 3 मदन सिह जी द्वारा निष्पादित किया दान पत्र प्रारम्भ से ही शून्य व प्रभावहीन होने से स्तुत काउन्टर टी0आई0 कानूनन चलने योग्य नहीं होने से खारिज किए जाने का निवेदन किया गया।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ताओं की प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी। प्रार्थिगण ने प्रार्थना में अंकित तथ्यों का दोहराव करते हुए तर्क दिया कि वाद विषयक कृषि भूमि प्रार्थिगण व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 की पुश्तैनी कृषि भूमि है जो प्रार्थिगण के पिता अप्रार्थी संख्या 1मदन सिंह उर्फ सार्दुल सिंह जी पुत्र मोड सिंह को विरासत में प्राप्त हुई है उक्त भूमि उनके स्वयं के द्वारा क्रय नहीं की गई है जिससे उनके उक्त भूमि में निहित हक अधिकार सीमित है। मदन सिंह जी के 4पुत्र एंव 1 पुत्री एवं जीवीत पत्नी है जिससे उनको कानूनन कोई हक अधिकार नहीं है कि वे पुश्तैनी भूमि में से अपने 1/4हिस्से को किसी एक व्यक्ति विशेष के पक्ष में दान कर दें। अप्रार्थी संख्या 1 मदन सिंह जी की उम्र लगभग 90वर्ष है जो वयोवृद्ध है जिनमें सोचने समझने की शक्ति नहीं है। अप्रार्थी संख्या 2 हरिराज सिंह ने बदनियती के चलते प्रार्थिगण के पिता मदन सिंह जी को अपने पास रख रखा है। अप्रार्थी संख्या 2 ने जानबूझकर अप्रार्थी संख्या 1 को न्यायालय में उपस्थित नहीं होकर अपना पक्ष नहीं रखने दिया गया है जो इस बात से साबित होता है कि अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा न्यायालय में बार–बार उपस्थित होकर यह कथन किया गया कि हम राजीनामा करने को तैयार है एवं राजीनामा की आड में बार–बार बहस में समय लिया गया अन्त में उनके द्वारा राजीनामा नहीं किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 मदन सिंह जी के द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 के पक्ष में किए गए दानपत्र के आधार पर वाद विषयक भूमि के दक्षिणी तरफ की भूमि लेना चाहता है जिसे प्रार्थिगण द्वारा मेहनत से कृषि योग्य बनाया है। उक्त पुश्तैनी वाद विषयक भूमि का बिना अधिकारा घोषणा के बंटवारा कराया जाना कानूनन उचित नहीं है। अप्रार्थिगण संख्या 1 लगायत 3 पुश्तैनी कृषिभूमि में अपने नाम का फायदा उठाकर उक्त भूमि को रहन, बैचान करने पर उतारू है यदि वे इस कृत्य में कामयाब हो जाते है तो प्रार्थिगण उनके अधिकार से वंचित हो जावेगे और उन्हें अपूर्णीय क्षति कारित होगी जिसकी भरपाई किसी प्रकार से संभव नहीं होगी। अतः अप्रार्थिगण को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे दौराने वाद उक्त पुश्तैनी कृषिभूमि का रहन,बैचान नहीं करें एवं प्रार्थिगण को उक्त भूमि से जबरन बेदखल नहीं कर वाद विषयक भूमि के मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखें। अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आर0आर0टी0 2023(2) पेज संख्या 1303, आर0बी0जे0(19) 2012 पेज संख्या 26, आर0आर0डी0 1993 पेज संख्या 206, आर0बी0जे0(12) 2005 पेज संख्या 405 पेश किए। अप्रार्थी संख्या 2,3 के अधिवक्ता ने प्रार्थिगण की बहस विरोध करते हुए तर्क दिया कि वाद विषयक भूमि अप्रार्थी संख्या 1 व अप्रार्थी संख्या 3 की सहखातेदारी में दर्ज है। प्रार्थिगण द्वारा प्रार्श्थना में अंकित किए गए कथन असत्य है। वाद विषयक भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 व 3 का मौके पर हिस्से अनुसार कब्जा काश्त है। अप्रार्थी संख्या 1 को जबरन अप्रार्थी द्वारा अपने साथ नहीं लाया गया वे अपनी इच्छा से उनके साथ गए है। मदन सिंह जी ने अप्रार्थिगण द्वारा उनकी की गई सुश्रुषा से प्रसन्न होकर स्वस्थ चित से अपनी खाते की भूमि में से दक्षिण तरफ की भूमि का 1/4हिस्सा अप्रार्थी संख्या 3 को जये रजिस्टर्ड दान पत्र दी गयी है जिसके अनुसार ही अप्रार्थी संख्या 3 मौके पर काबिज है। प्रार्थिगण को दान पत्र सक्षम न्यायालय से निरस्त कराये बिना कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं है कि वे अप्रार्थी संख्या 3 को उनके

उपखण्ड अधिकारी
कोटा (बून्दी)

खातेदारी में अंकित कृषिभूमि में काश्त करने में अवरोध उत्पन्न करें। अप्रार्थी संख्या 1 व 3 का वाद विषयक भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार है जिन्हें अस्थाई निषेधाज्ञा से कानून पावंद नहीं किया जा सकता है अतः प्रार्थिगण का प्रार्थना पत्र कानूनन चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया जावे तथा अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर टी0आई0 स्वीकार कर अंकित अनुतोष अनुसार प्रार्थिगण को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा से पावंद किया जावे। अपनी वहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आर0आर0टी0 2009(1) पेज संख्या 162, आर0आर0टी0 2013(1) पेज संख्या 123, आर0आर0टी0 2012(1) पेज संख्या 1439 पेश किए।

हमने उभयपक्ष विद्वान अधिवक्ताओं की वहस को ध्यानपूर्वक सुना एवं वहस पर मनन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत जमाबंदी सम्वत् 2075–78 खतौनी संख्या 94 वाके ग्राम पचीपला तहसील इन्द्रगढ़ में उक्त भूमि मदन सिंह उर्फ सार्दुल सिंह जाति राजपूत के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। पत्रावली में प्रस्तुत जमाबंदी मॉल मौजा पचीपला हल्का नोताडा तहसील इन्द्रगढ़ के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि कृषि भूमि खसरा संख्या 283 रकबा 39बीघा 16बिस्वा मोड सिंह वल्द जगन्नाथ सिंह कौम राजपूत के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड थी। भू प्रबंधन विभाग के मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2022–2041 के अवलोकन से यह जाहिर है कि उक्त खसरा संख्या 283 से नया खसरा संख्या 419 बना है तथा मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 1995 से 2015 से स्पष्ट है कि उक्त खसरा संख्या 419 से नये खसरान 537 रकबा 0.30है0, खसरा संख्या 539 रकबा 0.35है0, खसरा संख्या 540 रकबा 3.04है0, खसरा संख्या 546 रकबा 2.75है0 बने है। उक्त दस्तावेज से यह साबित है कि अप्रार्थी संख्या 1 मदनसिंह उर्फ सार्दुल सिंह को उक्त भूमि उनके पिता मोडसिंह से विरासत में प्राप्त हुई है यह उनकी स्वअर्जित सम्पत्ति नहीं है। प्रश्नगत आराजी प्रार्थिगण व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 की पुश्तैनी आराजी है। प्रस्तुत जमाबंदी सम्वत् 2075–78 खतौनी संख्या नया 94 वाके ग्राम पचीपला तहसील इन्द्रगढ़ के अवलोकन से जाहिर होता है कि वर्तमान में उक्त वादविषयक आराजी अप्रार्थी संख्या 1 व 3 की सहखातेदारी में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। अप्रार्थी संख्या 3 अनुराग सिंह उर्फ सार्दुलसिंह पुत्र मोड़ सिंह का नाम नामांतकरण संख्या 602 दिनांक 20.12.2023 दान से हिस्सा 1/4 जमाबंदी में अंकित हुआ है। उक्त दस्तावेजात से यह सुस्पष्ट है कि प्रश्नगत आराजी प्रार्थिगण व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 की पुश्तैनी आराजी है चूंकि उक्त भूमि के खातेदार मदनसिंह उर्फ सार्दुलसिंह पुत्र मोडसिंह के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी जिससे उनको कानूनन यह अधिकार प्राप्त नहीं होता है कि वे अपने नाम का फायदा उठाकर उक्त पुश्तैनी भूमि में निहित अपने हिस्से से अधिक भूमि को किसी व्यक्ति को बैचान या दान करें। अप्रार्थी संख्या 1 मदन सिंह उर्फ सार्दुलसिंह पुत्र मोड सिंह के चार पुत्र प्रार्थिगण एवं अप्रार्थी संख्या 2 है, एक पुत्री अप्रार्थी संख्या 4 एवं एक जीवीत पत्नी है जो प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों से स्पष्ट है। प्रार्थिगण व अप्रार्थी संख्या 2,4 मोड सिंह पौत्र होने से उनका जन्म से ही उक्त पुश्तैनी प्रश्नगत आराजी में कानूनन हक अधिकार निहित है जिन्हे उनके अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है। अप्रार्थी संख्या 1 की उम्र रजिस्टर्ड दान पत्र में 88वर्ष अंकित है जिससे वे वयोवृद्ध व्यक्ति है उनके द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 अनुराजग सिंह को पुश्तैनी भूमि में निहित अपने हिस्से से अधिक भूमि का दान जर्ये रजिस्टर्ड दान पत्र द्वारा दिनांक 25.07.2023 को किया गया है जो प्राथमिक दृष्ट्या ही शून्य एवं प्रभावनहीन है। अप्रार्थी संख्या 2 एवं उनके अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर बार–बार राजीनामें

उपखण्ड अधिकारी
लाडपुरा (कून्दी)

त् मौखिक कथन कर बहस हेतु अवसर लिए गए। अप्रार्थी संख्या 2 ने अपने जवाब प्रार्थना में यह कथन अंकित किया है अप्रार्थी संख्या 1 मदन सिंह उर्फ सार्दुल सिंह उनके साथ निवास कर रहे है। जिससे यह प्रतीत होता है अप्रार्थी संख्या 2 को अप्रार्थी संख्या 1 के मूल वाद एवं प्रार्थना पत्र में पक्षकार होने की जानकारी होते हुए भी जानबूझकर उन्हें न्यायालय में पक्ष रखने हेतु उपस्थित नहीं किया। अप्रार्थी संख्या 3 अनुराग सिंह द्वारा वाद विषयक कृषि भूमि में हिस्सा 1/4 दक्षीण तरफ के भू भाग का विधिवत बंटवारा करवाये जाने एवं उक्त भूमि पर प्रार्थिगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करने का कथन किया है जो मूल वाद में उभयपक्षों के साक्ष्य उपरान्त एवं पक्षकरों के अधिकारों की घोषणा किए जाने के बिना कानूनन उचित नहीं है। अप्रार्थिगण अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण से भिन्न होने से नहीं होते है। प्रार्थिगण अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत इस प्रकरण पर चस्पा होते है। हस्तगत प्रकरण में पुश्तैनी प्रश्नगत अराजी को लेकर वाद पुत्रों एवं पिता के मध्य है। प्रार्थिगण को अपने पिता की पैतृक भूमि में पिता के जीवनकाल में भी अधिकार प्राप्त है। प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रयोजन विवाद की विषयवस्तु को अधिकारों के संबंध में निर्णय किए बिना, दावे के निर्णय तक वर्तमान स्थिति में सुरक्षित रखना है तथा विवादित भूमि पर आगे होने वाली किसी सम्भावित क्षति को रोकना है जिससे विवाद और नहीं बढ़े। प्रस्तुत दृष्टांतों के प्रकाश में हमारा मत है कि यदि विवादित भूमि के विक्रय के संबंध में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई तो विवाद और बढ़ेगा। अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों को देखते हुए हमारे मत में प्रार्थिगण का अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत् प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करना उचित है।

अतः प्रार्थिगण द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी संख्या 3 का काउन्टर प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। अप्रार्थिगण 1 लगायत 3, 6 को मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वाद विषयक पुश्तैनी कृषि भूमि खसरा संख्या 537 रकबा 0.30है0, खसरा संख्या 539 रकबा 0.35है0, खसरा संख्या 540 रकबा 3.04है0, खसरा संख्या 546 रकबा 2.75है0 कुल किता 4 कुल रकबा 6.44है0 वाके ग्राम पचीपला तहसील इन्द्रगढ़ का किसी प्रकार रहन,बैचान एवं अन्य प्रकार से हस्तानान्तरित नहीं कर मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखें।

निर्णय लिखवाया जाकर दिनांक 27–03–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी(बून्दी)